



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062025-263885
CG-DL-E-16062025-263885

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2625]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 16, 2025/ज्येष्ठ 26, 1947

No. 2625]

NEW DELHI, MONDAY JUNE 16, 2025/JYAISHTHA 26, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2025

का.आ. 2690(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), (इसमें इसके पश्चात "आयकर अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा 'कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग', बेंगलुरु (पैन: AAAGK0112L) (इसमें इसके पश्चात "निर्धारिती" के रूप में संदर्भित), जो 'विद्युत अधिनियम, 2003' (सं. 2003 का 36) के अंतर्गत गठित आयोग है, को उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2025-26 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46क) के उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक प्रयोजनों से 'विद्युत अधिनियम, 2003' (सं. 2003 का 36) के अंतर्गत गठित आयोग बना रहे।

[अधिसूचना सं. 60 /2025/फा. सं. 300195/17/2025-आईटीए-1]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2025

S.O. 2690(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as “the Income-tax Act”), the Central Government hereby notifies the ‘Karnataka Electricity Regulatory Commission’, Bengaluru (PAN: AAAGK0112L) (hereinafter referred to as “the assessee”), a commission constituted under ‘The Electricity Act, 2003’ (No. 36 of 2003), for the purposes of the said clause.

2. This notification shall be effective from the assessment year 2025-26, subject to the condition that the assessee continues to be a commission constituted under ‘The Electricity Act, 2003’ (No.36 of 2003) with one or more of the purposes specified in sub-clause (a) of clause (46A) of section 10 of the Income-tax Act.

[Notification No. 60/2025/F.No.300195/17/2025-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.